(ग) राजस्थान के किन अन्य स्थानों पर खनिजों का पता लगा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन खनिजों का पता लगाने और राजस्थान सरकार के माध्यम से इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये कोई योजना बनाने का है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) राजस्थान सरकार के खनन और भूतत्व निदेशालय द्वारा भीलवाड़ा जिले के अगूटा ग्राम के निकट गोसान क्षेत्र में जस्ता—सीसा खनिजीकरण होने के सतही संकेतों का पता लगाने की सूचना मिली है । एकत्र किए गए कुछ नमूनों में औसतन लगभग 2.5 प्रतिशत सीसा और लगभग 3 प्रतिशत जस्ता के संकेत हैं।

(ख) नमूनों में गौण मूल्य (प्रति मिलियन 5 से 110 अंश) और कोबाल्ट (प्रति मिलियन 5 से 90 अंश) के निकिल का संकेत मिला है।

(ग) सीसा-जस्ता अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार उदयपुर जिले के जावर और राजपुरा दरीबा में स्थित हैं। राजस्थान में सीसा—जस्ता अयस्क के अन्य प्राप्तिस्थल देदवास और देवपुरा जिला भीलवाड़ा; सावर जिला अजमेर और डेरी जिला सिरोही में हैं । झुंझनूं जिले की खेतड़ी पट्टी में तांबा खनिजीकरण के और साथ कोबाल्ट और निकिल का भी पता चला है । पाली जिले के रणकपुर में भी गौण मूल्य के निकिल का पता चला है ।

(घ) हिन्दुस्तान जिंक लि० (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) द्वारा पहले ही जावर में सीसा—जस्ता भंडारों की खुदाई की जा रही है और उदयपुर के पास देवारी में उनका एक जस्ता प्रद्रावक है । वे राजपुरा-दरीबा में भी सीसा—जस्ता भंडार का विकास कर रहे हैं ।

भीलवाड़ा जिले के अगूटा ग्राम में सीसा—जस्ता भंडार के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी वहां खोज कार्य चल रहा है । अन्य प्राप्ति स्थलों के बारे में भी विभिन्न स्तरों पर समन्वेषण का कार्य चल रहा है ।

प्रचुर खनिज निक्षेपों वाले राज्य

8288. श्री रामचन्द्र वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां खनिजों के प्रचुर निक्षेप हैं ;

(ख) इन खनिजों के सर्वोत्तम उपयोग के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उन राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ; और

(ग) क्या अपने हित में, तथा इन खनिजों को सर्वोत्तम उपयोग के लिए कानून बनाने का राज्यों की अधिकार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, प० बंगाल, आसाम, गुजरात और गोआ ।

(ख) केन्द्रीय सरकार खानों के विनियमन; खनिजों के विकास, संरक्षण और उपयोग; खनन कार्यों की लागत में कटौती; और खानों में सुरक्षा से संबंधित मामलों में सलाह देकर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देती है । केन्द्रीय सरकार खनिजों के समन्वेषण और खोज तथा भूवैज्ञानिक मानचित्रण का काम भी करती है ।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की केन्द्रीय सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के अन्तर्गत खानों के विनियमन और खनिज विकास के लिए कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है । केन्द्रीय सरकार द्वारा जब किसी सीमा तक इन अधिकारों का उपयोग करना समीचीन नहीं समझा जाता, तो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 23 के अन्तर्गत राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं । राज्य सरकारें इस समय गौण खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों के अनुदान के विनियमन हेतु नियम बनाने के अधिकारों का उपयोग कर रही हैं ।

Proposal from Gujarat Government in setting up of a T.V. Centre

8289. PROF. P. G. MAVALANKAR:
SHRI CHHITUBHAI GAMIT:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat have proposed and pressed for some site in Gandhinagar, the capital, and not in Ahmedabad, for setting up the proposed new T. V. Centre in Gujarat;

(b) if so, facts thereof;

(c) whether Central Government have decided to accept the said proposal, if so, why; and

(d) whether Government explored the sites in and around Ahmedabad for the said purpose, and if so, reasons for rejecting them?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (d). The Government of Gujarat has offered a site at Gandhinagar free of cost for setting up the proposed TV Centre. Survey of other sites in or around Ahmedabad is in hand. A final decision on the site will be taken after the results of the surveys now in hand are known.

Rupar Thermal Power Project

8290. SHRI IQBAL SINGH DHILLON:
CHOWDHARY BALBIR SINGH:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 1000 MW Rupar Super Thermal Projects is pending with Central Electricity Authority, New Delhi; and

(b) if so, since how long it is pending and the reasons for its non-clearance?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). A preliminary report for installation of 5x200 MW thermal power station at Ropar was received in the Central Electricity Authority in November, 1977. This report did not contain adequate data required to assess the techno-economic feasibility of the project. A number of meetings were held in C.E.A. with technical officers of the Punjab State Electricity Board to clarify various issues. Based on these discussions, a revised feasibility report was received from P.S.E.B. in November, 1978. This report envisaged installation of two units of 210 MW each under Stage-I and subsequent extension by three units of 210 MW each under Stage II at Ropar. There was no confirmation by the Ministry of Railways regarding their ability to move the required quantity of coal for this station in the time frame envisaged in the report for completion of the project. The Department of Coal have indicated that coal can be made available for this Power Station from 1985-86 onwards. The question of advancing the coal supply to 1984-85 is, however, being examined. A meeting was held in the Planning Commission recently to consider these matters. The Department of Coal and the Ministry of Railway have asked for some more time to study the problem of availability of coal in the time frame required and its transporation for this project.

The project will be posed to the Central Electricity Authority for techno-economic clearance after the Department of Coal have confirmed the linkage of coal from 1984-85 and the Ministry of Railways have confirmed their ability to move the coal to the proposed power station site from that year.

Demand for a separate Film Censor Board in Bangalore

8291. SHRI F. H. MOHSIN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is a demand for a separate Film Censor Board in Bangalore;

(b) whether Government are aware of the large number of Kannada and other films produced in Karnataka some of which have won National and International awards; and

(c) in view of that they would favourably consider the demand?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The feasibility of opening another Regional Office of the Board of Film Censors is being examined.

मिलावटी पेट्रोल का बेचा जाना

8292. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के व्यापारी मिट्टी का तेल मिला पेट्रोल बेच रहे हैं ; और